ई–मेल/महत्वपूर्ण

प्रेषक

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
अनुभाग–4, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–3111/4–विविध ए/2022, दिनांकः 25 जून, 2026

विषय– ग्राम सचिवालय में लेखपाल को बैठने की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–42/2021/1235/33–3–2021–989/2021, दिनांक 25–07–2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर–3 में ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के कार्मिकों के आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत में एक जगह बैठकर कार्य करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि ग्राम सचिवालय के माध्यम से पंचायत सहायकों के द्वारा विभिन्न योजनाओं/सेवाओं हेतु आनलाइन आवेदनों की संलग्न सूची में राजस्व विभाग के जाति, आय, अधिवास, हैसियत प्रमाण पत्रों एवं खतौनी की नकल जैसी कुल 10 सेवाओं का उल्लेख किया गया है। आनलाइन माध्यम से प्रदान की जाने वाली राजस्व विभाग की इन सेवाओं में लेखपाल की महती भूमिका होती है। उक्त के अतिरिक्त तहसील दिवस, थाना दिवस, वरासत, स्वामित्व, किसान सम्मान निधि, रियल टाइम खतौनी, आपदा, बाढ़ राहत, भू–नक्शा मिलान, खसरा पड़ताल/फीडिंग, कृषि, आवासीय एवं मत्स्य पट्टा, कृषि गणना, जनगणना, काप कटिंग, एंटी भू–माफिया, दैवीय आपदा, महामारी रिपोर्ट, फसल बीमा, निर्वाचन, किसान एवं वृद्धा पेंशन, धारा–34 की रिपोर्ट, धारा–67 अवैध कब्जा, नजूल भूमि का सत्यापन, खनन, राशन वितरण सत्यापन, धान–गेहूँ क्रय केन्द्रों का सत्यापन आदि महत्वपूर्ण कार्य करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था की आरम्भिक कड़ी के रूप में कार्य किया जाता है।

3– राजस्व विभाग के प्रशासनिक व न्यायिक कार्यो के सम्बन्ध में आरम्भिक/स्थलीय जांच/रिपोर्ट लेखपाल द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है तथा पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, कृषि आदि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के कियान्वयन में भी सामान्यतया लेखपाल की रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल के बैठने हेतु कोई स्थान नियत न होने के कारण प्रायः जनसामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

4– उपर्युक्त स्थिति में लेखपाल द्वारा जनसामान्य के कार्यो के सुगम सम्पादन एवं पदीय दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन किये जाने हेतु आपके द्वारा जनपद स्तर से उनके लिए ग्राम सचिवालय में बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए उनकी उपस्थिति हेतु रोस्टर नियत कर, उक्त व्यवस्था को दिनांक 01–07–2026 से प्रभावी किये जाने का मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है।

5– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त स्थिति में लेखपालों द्वारा जनसामान्य के कार्यो के सुगम सम्पादन एवं पदीय दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन किये जाने हेतु उनके ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही लेखपालों के उपस्थिति का रोस्टर तैयार कराकर दिनांक 01–07–2026 से उक्त व्यवस्था का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या होने की स्थिति में दिनांक 30–06–2026 तक परिषद को अवगत कराया जाय अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि दिनांक 01–07–2026 से यह व्यवस्था जनपद में लागू हो गयी है।

भवदीया,

Kanchan

(कंचन वर्मा),
आयुक्त एवं सचिव।